

पत्र सं०- ब17/बी०एस०जी०-157/2013 - 669 /वि०

बिहार सरकार  
वित्त विभाग

प्रेषक,

एच०आर० श्रीनिवास  
सचिव (संसाधन)

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव  
सभी विभाग,  
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक

19/06/2017

विषय - वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव दिनांक-30.06.2017 तक भेजने के संबंध में।  
महोदय,

आगामी विधान मंडल के सत्र में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित किया जाना है।

2. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 3.0 प्रतिशत तक रखा जाना है। अतएव, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में सिर्फ वैसी राशि का प्रावधान हेतु प्रस्ताव भेजा जाय, जहाँ विभाग द्वारा किसी विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष में पहले से राशि का प्रावधान नहीं कराया गया, वहाँ टोकन प्रावधान के रूप में एक हजार रुपये प्रावधानित करने का प्रस्ताव देना होगा एवं शेष आवश्यक राशि का उपबंध पुनर्विनियोग द्वारा कराया जाना होगा।

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत किसी उपशीर्ष अथवा विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष में परिवर्तन अपेक्षित है तो इसके लिए प्रथम अनुपूरक में संशोधित उपशीर्ष अथवा विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष में प्रावधान हेतु प्रस्ताव दिया जाना होगा और इतनी ही राशि के प्रत्यर्पण हेतु आवेदन पत्र एवं अनुसूची हस्ताक्षर व निर्गत कर संचिका पर उपलब्ध कराया जाना होगा।

3. राज्य स्कीम के अन्तर्गत योजना एवं विकास विभाग द्वारा यदि अतिरिक्त योजना उद्ध्यय किसी विभाग को उपलब्ध कराया गया हो तो उसके लिए प्रस्ताव प्रशासी विभाग द्वारा भेजा जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव के साथ उद्ध्यय निर्धारण से संबंधित पत्र की प्रति भी संचिका पर रखी जाय। राज्य

स्कीम अन्तर्गत कर्णांकित परियोजनाओं को छोड़कर अगर अन्य किसी परियोजना में बचत संभावित है, तो उक्त राशि का प्रत्यर्पण करते हुए अन्यत्र राशि के उपबंध का प्रस्ताव दिया जा सकता है।


राज्य स्कीम अंतर्गत किसी उपशीर्ष अथवा विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष में परिवर्तन अपेक्षित है तो इसके लिए प्रथम अनुपूरक में संशोधित उपशीर्ष अथवा विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष में प्रावधान हेतु प्रस्ताव दिया जाना होगा और इतनी ही राशि के प्रत्यर्पण हेतु आवेदन पत्र एवं अनुसूची हस्ताक्षर व निर्गत कर संचिका पर उपलब्ध कराया जाना होगा।

4. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत नई स्कीम में प्राप्त होने वाली राशि, जिसका बजट उपबंध मूल बजट में नहीं किया गया है, उपशीर्ष खोलने के प्रस्ताव के साथ राशि के बजट उपबंध हेतु योजना एवं विकास से उद्ब्यय प्राप्ति के पत्र के साथ प्रस्ताव दिया जा सकता है।

5. यदि केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत किसी परियोजना के लिए भारत सरकार से राशि प्राप्त हो गयी है किन्तु व्यय के लिए बजट प्रावधान नहीं किया गया है तो उसके लिए प्रस्ताव भेजा जाए। यदि पूर्व वित्तीय वर्षों में प्राप्त राशि किसी कारणवश खर्च नहीं की जा सकी थी, तो इस वित्तीय वर्ष में उसके लिए भी प्रस्ताव देने के समय यह स्पष्ट किया जाए कि राशि किस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई थी।

अनुरोध है कि प्रथम अनुपूरक आगणन में राशि सम्मिलित करने हेतु सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए प्रस्ताव वित्त विभाग को दिनांक-30.06.2017 तक विहित अनुसूची पाँच प्रतियों में हस्ताक्षरित कर संचिका के माध्यम से वित्त विभाग, बजट शाखा में अपराह्न 5 बजे तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

  
(एच0आर0 श्रीनिवास)  
सचिव (संसाधन)